करते हुए गाँव के खतियान में जो प्रविष्टि की गई है, उसको देखते हुए तथा बन्दोबस्ती के लिए नियमानुसार 16/– रैयतों को विधिवत सूचना देते हुए और अगर कोई आपत्ति प्रस्तुत होती है तो उसपर विचार करते हुए इस मामले में पुनः समीक्षा कर उचित आदेश पारित करें।"

इस पर पुनः 16/– रैयतों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा से जांच प्रतिवेदन की मांग किया गया। 16/– रैयतों पर निर्गत नोटिस का तामिला एवं अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात ही विपक्षी के साथ उक्त जमींन की बन्दोबस्ती की गई है। स्पष्ट है कि मौजा के किसी भी रैयत द्वारा उस वक्त नोटिस का तामिला के पश्चात भी किसी प्रकार का आपत्ति नहीं किया गया जबकि आवेदकों का दावा है कि उनके पिता के समय से लगभग 30 वर्षो से उक्त जमींन को खंडित कर जोत–आबाद किया जा रहा है। अंचल अधिकारी के पत्रांक 369/रा0 दिनांक 18.08.1989 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि "जमींन गैर मजरूवा खास परती पड़ी हुई है, अधिकांश अंश पथरीली है।" इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जिस समय विपक्षी के साथ जमींन बन्दोबस्ती का प्रस्वाव दिया गया उस समय जमींन परती पड़ी थी एवं किसी प्रकार का आपत्ति नहीं था। जबकि आवेदकों का इसके पूर्व से खंडित कर दखल का दावा है, जो सही प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक विपक्षी द्वारा प्रश्नगत जमींन को खंडित नहीं किये जाने का प्रश्न है, विपक्षी एक सैनिक थे एवं उनकी पदस्थापन हमेशा देश की सीमा पर रहीं है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा समय–सीमा के अन्दर जमींन को खंडित नहीं किया जा सका होगा और बाद में मौजा के रैयतों द्वारा आपत्ति एवं आपसी तनाव भी होता रहा है। फलस्वरूप धारा 107 द0प्र0स0 के अन्तर्गत वाद भी दायर किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विपक्षी एक सैनिक एवं मसानजोर डैम के विस्थापित रैयत है। उनको उपायुक्त के पुनः समीक्षा का अनुमति आदेश के पश्चात जमींन की बन्दोबस्ती किया गया है। इस प्रकार आवेदकों का दावा निराधार प्रतीत होता है। अतः आवेदकों के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

267

# उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

**आर0एम0आर0 सं0– 01/2010–11**

नेहरू हेम्ब्रम एवं अन्य ..... आवेदक

**बनाम**

गणेश मुर्मू एवं अन्य ..... विपक्षी

**।। आदेश ।।**

**13/05/2016**

यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 01/2010–11 नेहरू हेम्ब्रम एवं अन्य बनाम् गणेश मुर्मू एवं अन्य, मौजा सिरूवाडीह, अंचल शिकारीपाड़ा के बीच अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के एस0आर वाद सं0 58/1987–88 में पारित आदेश दिनांक 30.08.1989 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी को सिरूवाडीह, अंचल शिकारीपाड़ा के परती दाग सं0 848 में रकवा 05–00–00 धूर (पाँच बीघा) जमींन मयूराक्षी डैम के विस्थापित रैयत एवं सैनिक होने के नाते बन्दोबस्ती निम्न न्यायालय द्वारा दिया गया है। इस आदेश के विरूद्ध में यह रिविजन वाद दायर किया गया है। इस पर अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा ने अपने पत्रांक 173/रा0 दिनांक 09.03.2015 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि विपक्षी गणेश मुर्मू भूतपूर्व सैनिक के नाम से 05–00–00 धूर (पाँच बीघा) जमींन उक्त दाग में बन्दोबस्ती किया गया है। बन्दोबस्ती होने के तिथि से आजतक उनके द्वारा इस जमींन पर कभी जोत–आबाद नहीं किया गया है। इसकी पुष्टि ग्रामीणों ने की है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गणेश मुर्मू सिरूवाडीह में नहीं रहते है। ग्रामीण एवं ग्राम प्रधान के अनुसार आवेदकगण के पिता के समय से लगभग 30 वर्षो से 01–10–00 धूर (एक बीघा दस कठ्ठा) जमींन खंडित कर जोत–आबाद करते आ रहें है तथा इसी जमींन पर करीब 10 कठ्ठा जमींन पर ग्रमीण सड़क भी बना है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत जमींन की बन्दोबस्ती हेतु एस0आर0 वाद सं0 65/1986–87 दायर किया गया था किन्तु विपक्षी मौजा के जमाबन्दी रैयत नहीं होने के कारण उक्त वाद को खारीज किया गया था। बाद में पुनः विपक्षी द्वारा उसी जमींन की बन्दोबस्ती हेतु एस0आर0 वाद सं0 58/1987–88 दायर किया गया। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा उपायुक्त से सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत पूर्व आदेश की पुर्नरीक्षण की अनुमति प्राप्त कर विपक्षी के साथ उक्त जमींन की बन्दोबस्ती की गई है।

तत्कालीन उपायुक्त द्वारा पारित पुर्नरीक्षण अनुमति आदेश का अवलोकन किया जिसमें उल्लेख है कि "सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 27 एवं 28 में जो प्रावधान में किये गये है उका अनुपालन